प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 days "Investigation of Cases under POCSO Act 2012"

(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)

दिनांक 09-03-2021 से 12-03-2021

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 09-03-2021 से 12-03-2021 "Investigation of Cases under POCSO Act 2012" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल 04 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 23 प्रतिभागियों जिसमें 03 पुलिस निरीक्षक 20 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

दिनांक 09-03-2021, 10:00-10:22 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स के उदघाटन सत्र में श्री संजय निराला, बाल अधिकार विशेषज्ञ, यूनिसेफ, श्री राजीव शर्मा, एडीजीपी एवं निदेशक, आरपीए, जयपुर, श्रीमती नीना सिंह, एडीजीपी, सिविल एवं श्री ब्रजेन्द्र कुमार जैन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कोर्स के प्रतिभागियों को सम्बोधित किया गया। तत्पश्चात 10:22 -10 : 30 AM तक श्रीमती तोषिता मालानी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में प्रतिभागियों को बताया गया। 10:30 -01 : 00 PM तक एमआर मिगेल के, चेयरपर्सन, UTSAH ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने पर व्याख्यान दिया। 02:00-02:45 PM तक श्रीमती शालिनि श्योराण, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ने Gender Sensitive Case Management पर व्याख्यान दिया। 02:45-03:15 PM तक श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने SOP and Evidence Collection during Investigation of Sexual Offences against Women and Children पर विस्तार से बताया। 03:15-04:15 PM तक श्री राजेश कुमार- I, विशेष न्यायाधीश ने POCSO कोर्ट

नंबर 3, जयपुर मेट्रो- I, ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच में पुलिस अधिकारी की भूमिका पर अपना व्याख्यान दिया। 04:30-05:15 PM पर श्री नीरज भारद्वाज, संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यौन अपराधों के पीड़ितों की सुरक्षा और कानूनी सहायता, पीड़ितों को मुआवजा, सहायता, जीवित व्यक्ति आदि की सुरक्षा में पुलिस अधिकारी की भूमिका पर अपने विचार वयक्त किये।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र श्री आर. एस. शर्मा (सेवानिवृत्त) निदेशक, एफ.एस.एल. जयपुर ने पोक्सो अधिनियम और इससे संबंधित मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य का महत्व SAECK किट का भौतिक साक्ष्य संग्रह में उपयोग विषय पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र एवं तृतीय सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ ने पोक्सो अधिनियम के तहत जांच के व्यावहारिक पहलू क्या है और क्या नहीं एवं एफआईआर, बयानों की रिकॉर्डिंग और पीड़ित की मेडिकल जांच के विशेष प्रावधानों पर वयाख्यान दिया।

तृतीय दिन के द्वितीय एवं तृतीय सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ ने किशोर न्याय के प्रावधान (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और पाेक्सो मामलों के साथ संबंधित नियमों पर विस्तार से चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में 03:00 पीएम पर प्रतिभागियो से पोक्सो विषय पर चर्चा की, सहायक कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री कैलाश चन्द्र, डीआईजीपी, आरपीए द्वारा प्रतिभागियो से पोक्सो विषय पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।